श्री अभिषेक रंजन, माननीय स0वि0स0/ श्री मो0 कमरुल होदा, माननीय स0वि0स0/श्री मनोज विश्वास, माननीय स0वि0स0/ श्रीमति अनीता, माननीया स0वि0स0/ श्रीमति करिश्मा, माननीया स0वि0स0/ श्री गौतम कृष्ण, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध मे

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार को यह विदित है कि पश्चिम चंपारण सहित राज्य के विभिन्न जिलों में पूर्व में नहरों से प्राप्त जल को कच्ची नालियों (पइन) के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया जाता था, जिससे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती थी, मिट्टी की नमी एवं उर्वरता बनी रहती थी तथा धान, गेहूँ, गन्ना सहित अन्य फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी, क्या यह तथ्य भी सरकार के संज्ञान में है कि वर्तमान में नहरों में जल प्रवाह बाधित होने तथा अधिकांश कच्ची नालियों के बंद या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे किसान सिंचाई के लिए पूर्णतः भू–जल पर निर्भर होने को विवश हैं और उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जहाँ पूर्व में भू–जल स्तर लगभग 20 फीट की गहराई पर उपलब्ध था, वह अब गिरकर 70 से 80 फीट तक पहुँच गया है, जिसके कारण सिंचाई के साथ–साथ पेयजल संकट भी उत्पन्न हो रहा है, क्या सरकार यह बताने की कृ पा करेगी कि बंद एवं क्षतिग्रस्त कच्ची नालियों की मरम्मत एवं सफाई मनरेगा के अंतर्गत कराए जाने तथा आवश्यकतानुसार पंजाब मॉडल के अनुरूप पक्की नालियों के निर्माण हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित है या नहीं?	राज्य सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम चंपारण सहित राज्य के विभिन्न जिलों में पूर्व में नहरों एवं पारंपरिक कच्ची नालियों (पइन) के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था संचालित होती थी, जिससे कृषि उत्पादन एवं मिट्टी की नमी बनाए रखने में सहायता मिलती थी। समय के साथ कई स्थानों पर नहरों में जल प्रवाह बाधित होने, अतिक्रमण, गाद जमाव तथा कच्ची नालियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण सिंचाई क्षमता प्रभावित हुई है। राज्य सरकार द्वारा नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, निर्बाध जल प्रवाह एवं पारंपरिक जल निकासी संरचनाओं के पुनर्जीवन हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है एवं उक्त कार्य मे लघु जल संसाधन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार नहरों एवं पइन की सफाई, उड़ाही तथा मरम्मत की कार्रवाई की जाती है। मनरेगा के अंतर्गत भी स्थानीय आवश्यकता एवं प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर जल संरक्षण, सिंचाई नालियों की सफाई, तालाब एवं आहर–पइन जीर्णोद्धार संबंधी कार्य कराए जाने का प्रावधान है। संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित कर कार्रवाई की जाती है। भू–जल पर बढ़ती निर्भरता एवं कुछ क्षेत्रों में भू–जल स्तर में गिरावट के मद्देनजर राज्य सरकार सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन तथा सतही जल आधारित सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यरत है। इसके अतिरिक्त "हर खेत तक सिंचाई का पानी" उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में सात निश्चय–3 के निश्चय तीन "कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि" अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के कार्य हेतु 20 क्यूसेक या उससे कम जलश्राव वाले विभिन्न नहरों (मुख्य नहरों को छोड़ कर) लघु नहरों, उप लघु नहरों जलवाहों एवं कमांड क्षेत्र के विकास हेतु पुनर्स्थापन कार्य तथा जलरूद्ध क्षेत्रों/चौर से जल निकासी/तटबंध का सुदृढ़ीकरण का कार्य जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के साथ संयुक्त रूप से जिलावार योजनाओं का चयन कर मनरेगा (विकसित भारत गारंटी फोर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G-RAM-G)) के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त निश्चय के तहत 2026–30 तक मे योजनाओं का कार्यान्वयन तकनीकी व्यवहार्यता एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–08 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–568 दिनांक–18.05.2026 के आलोक में ध्यानाकर्षण सूचना का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–08 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–08 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, सिंचाई (मो0), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–06–08 / 2026 3058 पटना / दिनांक :4/8/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव